



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 बैशाख, 1944 (श०)

संख्या - 223 राँची, शुक्रवार,

13 मई, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

9 मई, 2022

शुद्धि पत्र

पत्रांक-16/प्र०सु०-02-01/2020 का.-2963--विभागीय संकल्प संख्या-8598 दिनांक 29.09.2015 के द्वारा विभिन्न विभागों में उच्च कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर 03 वर्षों के लिए नियोजित किये जाने एवं 02 वर्षों के लिए अवधि विस्तारित किये जाने के प्रावधान में 02 अतिरिक्त वर्षों के अवधि विस्तार का प्रावधान करने सम्बन्धी संकल्प संख्या-2750 दिनांक 28.04.2022 की कंडिका-4 में अंकित “03 वर्षों के लिए नियोजित किये जाने एवं 02 वर्षों के लिए अवधि विस्तारित किये जाने के उपरान्त भी अगले 02 वर्षों के लिए पुनः संविदा को विस्तार करने की आवश्यकता महसूस होती है तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति अवधि के विस्तार हेतु अनुशंसा गठित करेगी। तदुपरान्त उसपर सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा” के स्थान पर “03 वर्षों के लिए नियोजित किये जाने एवं 02 वर्षों के लिए अवधि विस्तारित किये जाने के उपरान्त भी अगले 02 वर्षों के लिए पुनः संविदा को विस्तार (भूतलक्षी प्रभाव सहित)

करने की आवश्यकता महसूस होती है तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति अवधि के विस्तार हेतु अनुशंसा गठित करेगी। तदुपरान्त उसपर सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा” पढ़ा जाय ।

2. संकल्प की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
